पत्र संख्या-विधि-2-(1)-विशेष आर्थिक जोन-179-(2008-2009)/725/1011027 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,

(विधि अनुभाग)

दिनांक:: लखनऊ:: जुलाई 06 ,2010

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

शासन की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2027/ग्यारह-9-(15)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(26)-2008 दिनांक 30-6-2008 द्वारा दिनांक 1-1-2008 से डोमेस्टिक टैरिफ एरिया (डी0टी0ए0) अथवा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (एस0ई0जेड0) के व्यापारी द्वारा विकास आयुक्त द्वारा प्राधिकृत ''आपरेशन्स '' हेतु विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों के विकासकर्ता, सहविकासकर्ता तथा वहाँ स्थापित इकाईयों को बेचे गये माल के लिए कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा विहित प्रारुप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पर मूल्य सम्वर्धित कर से छूट प्रदान की गयी है। तदुपरान्त मुख्यालय के पत्र संख्या-वैट -(08-09)-विज्ञप्ति- 357 दिनांक 3-7-2008 द्वारा इस विज्ञप्ति के प्राविधानों का क्रियान्वयन करने के लिए प्रमाण पत्र का प्रारुप ''फार्म-डी '' निर्धारित किया गया था। पुन: मुख्यालय के पत्र संख्या-विधि-2-(1)-विशेष आर्थिक जोन (08-09)/ 723/ 0910043 दिनांक 26-8-2009 द्वारा यह निर्देश भी प्रसारित किये गये थे कि वर्क कान्ट्रैक्ट के निष्पादन में प्रयुक्त होने वाले माल के स्वामित्व का अन्तरण भी ''डीम्ड सेल'' की परिभाषा में आने के कारण ऐसी बिक्री भी उक्त विज्ञप्ति से आच्छादित होगी। तद्नुसार यदि वर्क कान्ट्रैक्ट का निष्पादन करने वाले किसी व्यापारी द्वारा उपरोक्त विज्ञप्ति की शर्तो के अनुरुप माल का अन्तरण किया जाता है तथा क्रेता व्यापारी से उक्त फार्म-डी प्राप्त करके प्रस्तुत किया जाता है तो उसे ऐसी बिक्री पर कर से छूट उपलब्ध होगी ।

2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0 द्वारा उक्त संदर्भ में अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-4084 / 77 -3-09-7 (एस0ई0जेड0)/ 09 दिनांक 16-12-2009 द्वारा सूचित किया गया है कि मुख्यालय के उक्त परिपत्र दिनांक 26-8-2009 में वर्क कान्ट्रैक्ट पर कर से छूट की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण विकास आयुक्त, नोएडा, एस0ई0जेड0, वाणिज्य मंत्रालय ,भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित दो बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है :-

(1) Developer/Unit should be exempted from deduction of VAT at source of the works contract, which would be executed in the SEZ.

(2) The contractors who are executing works in SEZ. should be exempted from paying WCT to the Trade Tax deptt. of particular contract.

3- अत: उपर्युक्त संदर्भ में स्थिति पुन: निम्नवत् स्पष्ट की जाती है :

(1) मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-34(1) के अधीन शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या-क0 नि0 - 2 - 763 / ग्यारह - 9 - (12) / 08 - उ0 प्र0 अधि0 - 5-2008 - आदेश-(7)-2008 दिनांक 4-3-2008 में विज्ञप्ति में उल्लिखित विभिन्न श्रेणी के संविदियों द्वारा किसी वर्क कान्ट्रैक्ट के विरुद्ध संविदाकार को भुगतान करते समय सकल धनराशि के 4 प्रतिशत के बराबर स्रोत पर कर की कटौती किये जाने का प्राविधान है। साथ ही अधिनियम की धारा-34 (4) में प्राविधान है कि कान्ट्रैक्टर उपयुक्त मामले में स्रोत पर कर की कोई कटौती न करने अथवा न्यूनतर दर से कटौती करने के लिए अपने कर निर्धारण

अधिकारी को आवेदन कर सकता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे मामले में अधिनियम की धारा-34 (5) के प्राविधानों अन्तर्गत इस वर्क कान्ट्रैक्ट पर कर के भुगतान के दायित्व का परीक्षण करते हुये स्रोत पर कोई कटौती न किये जाने का आदेश दिया जा सकता है।

यदि किसी कान्ट्रैक्टर द्वारा किसी विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में कोई वर्क कान्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो ऐसे वर्क कान्ट्रैक्ट में निहित माल का अन्तरण पूर्वोक्त विज्ञप्ति दिनांक 30-6-2008 के अन्तर्गत नियत शर्तों के अधीन करमुक्त होगा एवं ऐसे वर्क कान्ट्रैक्ट पर कोई कर देय नहीं होगा। तद्नुसार यदि किसी कान्ट्रैक्टर द्वारा ऐसे किसी वर्क कान्ट्रैक्ट के लिए धारा- 34 (4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे वर्क कान्ट्रैक्ट के विरुद्ध स्रोत पर कर की कोई कटौती न करने का आदेश जारी किया जा सकता है।

(2) जैसा कि पूर्व में जारी परिपत्र संख्या-723 दिनांक 26-8-2009 द्वारा भी स्पष्ट किया जा चुका है, यदि किसी कान्ट्रैक्टर द्वारा विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों के विकासकर्ता, सहविकासकर्ता अथवा इनमेंस्थापित इकाईयों के लिए विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में कोई वर्क कान्ट्रैक्ट किया जाता है एवं ऐसा वर्क कान्ट्रैक्ट विकास आयुक्त द्वारा प्राधिकृत "आपरेशन्स" के अन्तर्गत आता है तो कान्ट्रैक्टर द्वारा संविदी से फार्म-डी प्राप्त करके प्रस्तुत करने पर उसे इस वर्क कान्ट्रैक्ट के सम्बन्ध में कोई कर नहीं देना होगा।

4- परन्तु मुख्यालय के परिपत्र संख्या-वैट-(2008-2009) -विज्ञप्ति-357 दिनांक 3-7-2008 द्वारा निर्धारित फार्म-डी वर्क कान्ट्रैक्ट के परिपेक्ष्य में व्यवहारिक नहीं है। अत: उक्त प्रारुप डी में यथा आवश्यक संशोधन करते हुये वर्क कान्ट्रैक्ट के प्रकरणों हेतु एत्दद्वारा "फार्म-डी-1" निर्धारित किया जाता है, जिसका प्रारुप इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। साथ ही संविदी द्वारा प्रयोग में लाये गये फार्म-डी-1 का हिसाब रखने के लिए भी निर्धारित प्रारुप -डी-2 भी संलग्न किया जा रहा है। फार्म डी-1 के रखरखाव, उनके जारी करने की प्रक्रिया तथा प्रयोग में लाये गये फार्म डी-1 का हिसाब रखने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-

(1) फार्म-डी-1 व्यापारी द्वारा क्रमांकित बाईण्डेड बुक में रखा जाएगा।प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए क्रमांक 00001 से प्रारंभ होकर क्रमागत रहेगा।

(2) यह प्रमाण पत्र संविदी द्वारा तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपर्ण) में रखा जाएगा। मूल / द्वितीय प्रति संविदाकार को जारी किया जाएगा। प्रतिपर्ण संविदी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जाएगा।

(3) मूल प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय भुगतान की सूची/विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। द्वितीय प्रति संविदाकार द्वारा अपने पास रखी जाएगी

(4) फार्म संविदी स्वयं ही ए-4 साईज में प्रिन्ट करवाएगा और एक बुकलेट पचास फार्म की होगी।

(5) फार्म डी-1 जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से फार्म की मूल प्रति पर प्रतिहस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा।

(6) कर निर्धारक प्राधिकारी फार्म डी-1पर ई0ई0 सीरीज का टिकट लगाकर प्रतिहस्ताक्षर करेगें

(7) एक फार्म डी-1 में अधिकतम एक माह के संव्यवहार का इन्द्राज किया जा सकता है।

(8) फार्म डी-1 पर हस्ताक्षर केवल वही व्यक्ति करेंगे जिनका उल्लेख उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-32(6) में है अथवा टैक्स इनवाइस को अभिप्रमाणित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

(9) संविदी द्वारा प्रयोग किये गये फार्म डी-1 का विवरण एक निर्धारित प्रारुप डी-2 (संलग्न) में दो प्रतियों मे रखा जाएगा जिसकी एक प्रति कर निर्धारक अधिकारी को फार्म डी-1 की अगली बुकलेटों पर प्रतिहस्ताक्षर कराने के पूर्व प्रस्तुत की जायेगी। तत्पश्चात् फार्म डी-1 पर कर निर्धारक प्राधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेगें एवं नाम व पदनाम की मोहर लगायेगें। संविदी द्वारा फार्म डी-2 में रखे गये उक्त विवरण की संविदी की प्रति पर भी कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपनी मोहर लगाते हुये हस्ताक्षर किये जायेगें।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।परिपत्र की प्रतियां पर्याप्त मात्रा में कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियो / व्यापारिक संघो को उपलब्ध कराने तथा व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीय,
6/7/10
(चन्द्रभानु)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

<u>पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।
(2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।
(3) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)
(4) अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवॅ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0
(5) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ।
(6) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2(वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/वि0अनु0शा0/अपील) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(8) अपर निदेशक सॅयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ।
(9) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर,इलाहाबाद ।
(10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।
(11) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
(12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग,इलाहाबाद।
(14) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन,सेंक्टर 10नोयडा।
(15) ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद।
(16) ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
(17) मैअनुल अनुभागा/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियाँ में।
(18) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ।
(19) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
(20) अध्यक्ष,उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0185/293अमीनाबाद रोड,गणेश गंज,लखनऊ।
(21) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ।

(22) श्री श्याम बिहारी मिश्र,उार प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
(23) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उार प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुंज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ ।
(24) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
(25) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
(26) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 4/180 विशाल खण्ड पी0वी0-17 गोमती नगर लखनऊ ।
(27) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
(28) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ ।
(29) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
(30) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ ।
(31) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीयसलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)के माध्यम से ।
(32) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।
(33) शिव कुमार अरोडा,एडवोकेट ,महा सचिव,उार प्रदेश टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली जिला मुजफ्फरनगर ।
(34) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
(35) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।
(36) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
(37) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
(38) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी ।
(39) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1कुँजगली,चौक,वाराणसी ।
(40) श्री नेकी राम गर्ग,अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707,पंचशील कालोनी, महाबीर चौक,मु0नगर।
(41) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
(42) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
(43) आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।
(44) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
(45) श्री शैलेश मिश्रा, महामॅत्री, लोहा व्यापार मंडल,उार प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।
(46) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर ।
(47) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0(रजि0)52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ ।
(48) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
(49) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
(50) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ ।
(51) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
(52) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
(53) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष,एफ-3,पार्क रोड,लखनऊ ।
(54) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पॅजी0-बी-29,विधायक निवास,दारुल शफा,लखनऊ ।
(55) माननीय अध्यक्ष,व्यापार कर सलाहकार समिति,सचिवालय,लखनऊ ।
(56) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल , 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
(57) श्री दिनेश चन्द्र मिाल , उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ ,6/6-ए,उ0 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ ।
(58) अध्यक्ष , इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
(59) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।
(60) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस ।

(61) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।

(62) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उार प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)

(63) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0 उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट , खोया मण्डी इलाहाबाद

(64) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी, उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, यू0पी0 ।

(65) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।

(66) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद ।

(67) श्री बी0एन0शुकला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।

(एम0पी0अग्रवाल)
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।

करनिर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण हस्ताक्षर, नाम व मुहर सहित

फार्म - डी-1

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[विज्ञप्ति सं0 क0नि0-2-2027/ग्यारह-9(15)/08-30प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(26)-2008 दिनांक 30-6-2008 के अधीन]

विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में स्थापित इकाई तथा विकासकर्ता या सह विकासकर्ता को विकास आयुक्त द्वारा अधिकृत आपरेशन्स हेतु संविदी द्वारा संविदाकार को जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र

(मूल प्रति - करनिर्धारण प्राधिकारी के लिए)

बुक संख्या------------------------------- क्रम संख्या-------------------------

1-	संविदी का नाम व पता		
2-	टिन	प्रभावी तिथि	d d m m y y y y
3-	करनिर्धारण वर्ष		y y y y - y y y y
4-	माह का नाम		d d m m y y y y
5-	संविदाकार का नाम व पता		
6-	टिन	प्रभावी तिथि	d d m m y y y y

संविदा एवं भुगतान का विवरण

क्र0सं0	संविदा की संख्या व दिनांक	कार्य की प्रकृति	भुगतान की बिल संख्या व दिनांक	भुगतान की धनराशि	विशेष टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

Total in words	
Total in figure	

घोषणा

मैं --पुत्र / पुत्री / पत्नी----------------------------- प्रास्थिति---------------------- --------- , एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सूचनाएं मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही हैं।

स्थान -

तिथि -

मुहर

हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम

प्रयोग किये गये फार्म डी-1 के विवरण का निर्धारित प्रारूप-डी-2

क्र0 स0	संविदाकार का नाम व पता	टिन	फार्म डी-1 का क्रमांक	संविदा की सं0 व दिनांक	कार्य की प्रकृति	भुगतान की बिल सं0 व दिनांक	भगतान की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पदनाम
एवं मुहर तिथि

करनिर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण हस्ताक्षर, नाम व मुहर सहित

फार्म - डी-1

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[विज्ञप्ति सं0 क0नि0-2-2027/ग्यारह-9(15)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(26)-2008 दिनांक 30-6-2008 के अधीन]

विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में स्थापित इकाई तथा विकासकर्ता या सह विकासकर्ता को विकास आयुक्त द्वारा अधिकृत आपरेशन्स हेतु खरीद के लिये प्रमाण पत्र

(द्वितीय प्रति - विक्रेता व्यापारी के लिए)

बुक संख्या------------------------------ क्रम संख्या--------------------------

1-	संविदी का नाम व पता	
2-	टिन	प्रभावी तिथि d d m m y y y y
3-	करनिर्धारण वर्ष	y y y y - y y y y
4-	माह का नाम	d d m m y y y y
5-	संविदाकार का नाम व पता	
6-	टिन	प्रभावी तिथि d d m m y y y y

संविदा एवं भुगतान का विवरण

क्र0सं0	संविदा की संख्या व दिनांक	कार्य की प्रकृति	भुगतान की बिल संख्या व दिनांक	भुगतान की धनराशि	विशेष टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

Total in words	
Total in figure	

घोषणा

मैं --पुत्र / पुत्री / पत्नी---------------------------- प्रास्थिति--------------------- ---------- , एतद्‌द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सूचनाएं मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही हैं।

स्थान -

तिथि -

मुहर

हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम

प्रयोग किये गये फार्म डी-1 के विवरण का निर्धारित प्रारूप डी-2

क्र0 स0	संविदाकार का नाम व पता	टिन	फार्म डी-1 का क्रमांक	संविदा की सं0 व दिनांक	कार्य की प्रकृति	भुगतान की बिल सं0 व दिनांक	भगतान की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पदनाम
एवं मुहर तिथि

करनिर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण हस्ताक्षर, नाम व मुहर सहित

फार्म - डी-1

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[विज्ञप्ति सं0 क0नि0-2-2027/ग्यारह-9(15)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(26)-2008 दिनांक 30-6-2008 के अधीन]

विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में स्थापित इकाई तथा विकासकर्ता या सह विकासकर्ता को विकास आयुक्त द्वारा अधिकृत आपरेशन्स हेतु खरीद के लिये प्रमाण पत्र

(प्रतिपर्ण - क्रेता व्यापारी के लिए)

बुक संख्या------------------------------ क्रम संख्या--------------------------

1-	संविदी का नाम व पता		
2-	टिन		प्रभावी तिथि d d m m y y y y
3-	करनिर्धारण वर्ष		y y y y - y y y y
4-	माह का नाम		d d m m y y y y
5-	संविदाकार का नाम व पता		
6-	टिन		प्रभावी तिथि d d m m y y y y

संविदा एंव भुगतान का विवरण

क्र0सं0	संविदा की संख्या व दिनांक	कार्य की प्रकृति	भुगतान की बिल संख्या व दिनांक	भुगतान की धनराशि	विशेष टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

Total in words	
Total in figure	

घोषणा

मैं --पुत्र / पुत्री / पत्नी---------------------------- प्रास्थिति----------------
--------------- , एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सूचनाएं मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही हैं।

स्थान - हस्ताक्षर

तिथि - अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम

मुहर

प्रयोग किये गये फार्म डी-1 के विवरण का निर्धारित प्रारूप डी-2

क्र0 स0	संविदाकार का नाम व पता	टिन	फार्म डी-1 का क्रमांक	संविदा की सं0 व दिनांक	कार्य की प्रकृति	भुगतान की बिल सं0 व दिनांक	भगतान की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम,
पदनाम एवं मुहर तिथि